

रिपोर्ट पटवारी ~~खाटा~~ तहसील ~~खाकसू~~ जिला ~~अजमेर~~

ग्राम :- बाडापदमपुर
हल्का :- बाडापदमपुर
म.नि.मि. :- शिवबासापुर
तहसील :- चाकसू
जिला :- जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम ~~खाटापदमपुर~~ की खाता संख्या 149, 154 में प्रार्थी का नाम हाजू पुत्र बिरधा दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम हाजू पुत्र सु. रामदेव दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम ~~खाटापदमपुर~~ की खाता संख्या 149, 154 में दर्ज नाम हाजू पुत्र बिरधा के बजाय सही इन्द्राज हाजू पुत्र सु रामदेव दर्ज किया जाना उचित है।

हा/सु
हस्ताक्षर पटवारी

अतिरिक्त से प्राप्त हुई है। (रामदेव की किरात के)

02/01/2023
मू-अमिलेख निरीक्षक ~~शिवबासापुर~~

कार्यालय तहसीलदार ~~खाकसू~~ जिला ~~अजमेर~~

मू.अमिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ~~खाटापदमपुर~~ की जमाबन्दी की खाता संख्या 149, 154 में दर्ज नाम हाजू पुत्र बिरधा के बजाय सही नाम हाजू पुत्र सु. रामदेव दर्ज किया जाना उचित है।

[Signature]
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~खाकसू~~ जिला ~~अजमेर~~

105/2023

प्रकरण संख्या/ कैम्प /2023/45

दिनांक 22/06/2023

तहसीलदार ~~खाकसू~~

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार ~~खाकसू~~ की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ~~खाटापदमपुर~~ की जमाबन्दी की खाता संख्या 149, 154 में दर्ज नाम/इन्द्राज हाजू पुत्र बिरधा के बजाय सही नाम/इन्द्राज हाजू पुत्र सु. रामदेव दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार ~~खाकसू~~ आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद कर प्रालना करें।

5924
22/6/23

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
खाकसू (जयपुर)